न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 04/2020 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थी:—

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

1. प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति, रा.रा.खा.ना.आ.निगम, पाली
2. अजीज खां पुत्र कालूखां जाति मुसलमान, निवासी गरीब नवाज नगर, पाली (ड्राईवर)
3. नारायण पुत्र कुकाराम जाति भील निवासी अमर इन्द्रा नगर, पाली
4. मोहन पुत्र मीठूसिंह जाति रावत, निवासी सूर्या कॉलोनी, पाली
5. राजेश पुत्र घनश्याम जाति सरगरा, निवासी सूर्या कॉलोनी, पाली
6. हीरालाल पुत्र बाबुलाल जाति धोबी, निवासी आनंद नगर, पाली
7. घनश्याम पुत्र शेषमल जाति सरगरा, निवासी आनंद नगर, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 27.05.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण से जब्तसुदा गेंहु 380 कट्टे वजन 190.93 क्वींटल एवं ट्रक संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 1295 को राज्यसात करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि थानाधिकारी ट्रांसपोर्ट नगर पाली की सूचना पर प्रार्थी मय एक अन्य प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी वह कानिस्टेबल श्री कानसिंह के रूबरू जांच की गई। ट्रक मालिक घनश्याम पुत्र शेषमल जाति सरगरा निवासी आनन्द नगर पाली भारतीय खाद्य निगम से गेहूं परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों पर सप्लाई करने का अधिकृत ठेकेदार है। श्री घनश्याम को ट्रक संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 1295 में गेहूं भरकर उचित मूल्य दुकानदारों को सप्लाई के लिए वाहन चालक अजीज खां मय अप्रार्थी संख्या 3 से 6 लेकर जा रहे थे। जिसका राजस्थान खाद्य निगम पाली चालान नम्बर सी.एच.ए.डब्ल्यू. 00003503123 भी कटा हुआ साथ था। जिसके अनुसार 380 कट्टे गेहूं वजन 192.16.600 क्वींटल विभिन्न उचित मूल्य दुकानदार जी.एस.एस. घेनड़ी प्रथम व द्वितीय, जी.एस. एस. विंगरला, लालाराम ओटाजी ग्राम बाला, केसाराम ताराराम ग्राम खिवाड़ा के भरे हुए थे। जिसमें से लालाराम ओटाजी के 6 कट्टे गेहूं वजन 302.2 क्वींटल की सप्लाई दे दी गई तथा शेष को देनी थी। मौके पर दो बंबीया तथा कुछ खुल्ले कट्टे पाये गए। पुछताछ करने पर वाहन चालक अजीज खां पुत्र कालुखां अप्रार्थी संख्या 2 ने बताया अथार्त स्वीकार किया कि बंबीयों से कट्टो में छेदकर गेहूं निकाल कर खाली कट्टों में भरकर, कट्टों की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई के लिए दिए गए गेहूं में से चोरी करने के उद्देश्य से वे ऐसा कर रहे है। जिसमें वाहन स्वामी घनश्याम का पुत्र राजेश भी शामिल था तथा अन्य मजदूर भी शामिल थे। जो सभी वाहन स्वामी के प्रतिनिधि

जिला कलेक्टर, पाली

है। वाहन में कट्टों की संख्या पूरे 380 पाये गए। जबकि 6 कट्टे 302.20 क्वींटल लालाराम ओटाजी को सप्लाई किए जा चुके थे। अथार्त सप्लाई करने के पश्चात अन्य कट्टो में से बंबी लगाकर गेहूं निकालकर 6 कट्टे बढ़ा दिए गए। शेष गेहूं का सही वजन बाद सप्लाई 374 कट्टे वजन 189.70 क्वींटल होना चाहिए था। जबकि 380 कट्टे थे। 6 कट्टे चोरी की नियत से बढ़ाया जाना पाया गया तथा 380 कट्टों का वजन 190.33 क्वींटल सुद गेहूं होना पाया गया। इस प्रकार भरे हुए कट्टो में से बंबीयों से गेहूं निकाल कर खाली कट्टों में भरकर उचित मूल्य दुकानदार को सप्लाई किए जाने वाला एन.एफ.एस.ए. योजना का गेहूं जो लाभर्थियों को निःशुल्क वितरण किए जाना था। उसको निकालकर अमानत में खयानत करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कन्ट्रोल) आदेश 2015 के उपबन्धों की अवहेलना करना पाया गया। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से अप्रार्थीगण से उक्त गेहूं मय ट्रक जब्त कर थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली में हेड कानिस्टेबल श्री मोहनलाल गुर्जर को जब्तसुदा गेहूं एवं श्री महावीरसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी पाली हाल रसद सतर्कता निरीक्षक, रा.रा.खा.ना.आ. निगम पाली को सुपूर्दगी में दिया गया। उक्त जब्तसुदा गेहूं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम पाली का खाद्य सुरक्षा योजना का (सरकारी गेहूं) होने तथा उचित मूल्य दुकानदारों से कोविड–19 की महामारी को देखते हुए लाभार्थीयों को वितरण करवाने के लिए था। उक्त गेहूं के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा अपना होने बाबत दावा नहीं करने एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सरकारी होने का प्रार्थना पत्र पेश करने से तथा अप्रार्थी संख्या 7 उन्हें प्रदाय करने हेतु सहमत होने से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2020 के द्वारा जब्तसुदा गेहूं अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार वितरण कराने हेतु प्रदाय करने के आदेश दिए जा चूके है। वर्तमान में वाहन जो उक्त कार्य में प्रयुक्त था, उसे भी जब्त सरकार किया गया है। उसके संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ख के प्रावधानों के अनुरूप उसकी कीमत के बराबर जुर्माना आरोपीत कराने हेतु सरकारी पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 से 7 तक के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 7 रा.रा. खा.ना.आ. निगम पाली में गेहूं को उचित मूल्यों दुकानदारों तक पहुंचाने हेतु परिवहन करने का अधिकृत ठेकेदार है। जो लम्बे समय से बीमार होने से साथ नहीं था, वक्त वारदात उसके मजदूरों तथा वाहन चालक द्वारा उपरोक्त कृत्य किया गया। गेहूं में से चोरी नहीं हुई है। कट्टों में भरे गए थे। जिसमें वह स्वयं लिप्त भी नहीं था। इस कारण उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए अप्रार्थी को निर्दोष मानते हुए उसका ट्रक संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 1295 को रीलीज करने के आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 श्री घनश्याम पुत्र शेषमल सरगरा निवासी आनन्दनगर पाली उक्त कार्य करते वक्त ट्रक के साथ नहीं था, लेकिन घनश्याम का पुत्र राजेश व उसके मजदूर एवं उक्त परिवहन ठेकेदार का वाहन चालक अजीजखां सभी साथ थे एवं उक्त कृत्य में लिप्त होना भी स्वीकार किया। यह सभी व्यक्ति परिवहन ठेकेदार के ही प्रतिनिधि है। इस प्रकार उक्त अवैध कृत्य घनश्याम स्वयं द्वारा नहीं किया गया। जबकि उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, अपने प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यो के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरादायी है। घनश्याम का पुत्र भी उक्त कार्य में संलिप्त था। ऐसी स्थिति में गेहूं को चोरी करने के उद्देश्य से बंबी से निकाल कर कट्टों में भरने का कार्य वक्त परिवहन उपरोक्त वाहन से करना पाया जाता है तो घनश्याम ठेकेदार उपस्थित नहीं होने के आधार पर निर्दोष नहीं माना जा सकता है। इस आपराधिक कृत्य के लिए वह भी पूर्णरूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार घनश्याम ठेकेदार के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आपराधिक कार्य किए जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली कण्ट्रोल आदेश 2015 के उपबन्धों की अवहेलना किया जाना सिद्ध है। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ख के अनुसार घनश्याम जो वाहन मालिक के साथ गेहूं परिवहन का

जिला कलेक्टर, पाली

ठेकेदार भी है। उसके प्रतिनिधियों द्वारा आपराधिक मनःस्थिति से किए गए कार्य के लिए घनश्याम पूर्णरूप से उत्तरदायी होने के साथ ही दोषी भी है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त कृत्य में प्रयुक्त वाहन संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 1295 के संबंध में 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) जुर्माना आरोपीत किया जाता है। श्री घनश्याम पुत्र शेषमल सरगरा, निवासी आनन्द नगर पाली एक माह की अवधि में उक्त जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी, पाली को अदा कर देता है तो वाहन संख्या आर.जे. 09 जी.ए. 1295 उसे सुपूर्द कर, प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया जाता हैं अन्यथा जब्तसुदा वाहन की नियमानुसार निलामी की जाकर प्राप्त राशि में से जुर्माना राशि कम कर राजकोष में जमा कराते हुए, शेष राशि श्री घनश्याम को लौटाई जावे तथा की गई कार्यवाही से जिला रसद अधिकारी, पाली इस न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली